

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा  
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17  
पंचकूला।

अधिसूचना

कमांक एस.ई.सी./ई-11/2010/6094

दिनांक :- 16.07.2010

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति का नाम जो सरपंच, ग्राम पंचायत खेड़ी, खण्ड नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा से आम चुनाव, 2010 में निर्वाचित हुआ है अधिसूचित किया जाता है -

कमांक संख्या	ग्राम पंचायत	वार्ड न०	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	वर्ग
1	[k/h	..	सावित्री	रणजीत सिंह	सरपंच	महिला

2. यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका नं० 3403 आफ 2010 के अंतिम निर्णय पर निर्भर है।

दिनांक पंचकूला  
16 जुलाई, 2010

धर्म वीर  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
हरियाणा।

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा  
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17  
पंचकूला।

अधिसूचना

कमांक एस.ई.सी./ई-11/2010/6096

दिनांक :- 16.07.2010

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति का नाम जो पंच, ग्राम पंचायत जीवननगर, खण्ड ऐलनाबाद, जिला सिरसा आम चुनाव, 2010 में निर्वाचित हुए है, अधिसूचित किया जाता है :-

कमांक संख्या	ग्राम पंचायत	वार्ड न०	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	वर्ग
1	thouuxj	1	जसवन्त सिंह	तेजासिंह	पंच	अनारिक्त

2. यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका नं० 3403 आफ 2010 के अंतिम निर्णय पर निर्भर है।

दिनांक पंचकूला  
16 जुलाई, 2010

धर्म वीर  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
हरियाणा।